रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 474] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 07, 2018 / अग्रहायण 16, 1940
No. 474] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 07, 2018/AGRAHAYANA 16, 1940

IndiaCode

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर , 2018

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2018

(2018 का संख्या 2)

सं. एल-3(2)-/विनियम-सामान्य (संशोधन)/2018/सीसीआई.—प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एतदद्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : -

1. संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंभ—

(1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) विनियम, 2009 में, विनियमन 46 के पश्चात निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात् : -

"46क. महानिदेशक द्वारा बुलाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ आने हेतु किसी अधिवक्ता को अधिकृत करना : -

(1) महानिदेशक द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाए गए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अधिवक्ता आ सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् -

क) अधिवक्ता को तब तक ऐसे व्यक्ति के साथ आने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व वकालतनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ लिखित में अनुरोध महानिदेशक को उचित रूप से प्रस्तुत नही किया गया हो।

ख) अधिवक्ता उस व्यक्ति के सामने नहीं बैठेगा जिसे बुलाया गया हो।

ग) व्यक्ति के शपथ पर परीक्षण के दौरान अधिवक्ता व्यक्ति से वार्तालाप सुनी जा सकने वाली दूरी पर मौजूद नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार से संबंधित व्यक्ति से संवाद करने, परामर्श करने, उसे कुछ सौंपने या किसी भी प्रकार से संप्रेषण करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) महानिदेशक के समक्ष बुलाए गए व्यक्ति की मौजूदगी के दौरान उसके साथ आए अधिवक्ता द्वारा कोई कदाचार अनुमेय नहीं किया जाएगा। किसी भी कदाचार के मामले में, महानिदेशक लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ आयोग को शिकायत अग्रेषित करेगा। आयोग, यदि महानिदेशक की शिकायत से संतुष्ट है, तो महानिदेशक के समक्ष कार्यवाहियों में या भविष्य में अथवा जब तक आयोग आवश्यक समझता हो, तब तक कदाचार के दोषी अधिवक्ता को आयोग के समक्ष पेश होने से रोकने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सकता है।

(3) किसी भी अधिवक्ता द्वारा किए गए कदाचार की स्थिति में, आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर, सचिव उस राज्य की बार काउंसिल को लिखित में इस आशय की एक शिकायत अग्रेषित करेगा, जहां वह सदस्य के रूप में पंजीकृत है।

स्पष्टीकरण - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, 'कदाचार' शब्द का अर्थ विनियम 46 के उप-विनियम 4 के स्पष्टीकरण में इसे प्रदान किए गए के समान होगा। "

स्मिता झिंगरन, सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./396/18]

टिप्पणी : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 22 मई, 2009 की अधिसूचना सं. आर-40007/6/विनियम-सामान्य/अधिसूचना/04-सीसीआई के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे। विनियमों को बाद में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 20 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. एल-3(2) विनियम-सामान्य (संशो.) 2009-10/सीसीआई; दिनांक 20 अक्तूबर, 2010 की अधिसूचना सं. एल-3(2) विनियम-सामान्य (संशो.)/2009-10/सीसीआई; दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनियम-सामान्य (संशो.)/2011/सीसीआई; दिनांक 8 नवंबर, 2011 की अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनियम-सामान्य (संशो.)/2011/सीसीआई; और दिनांक 7 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनियम-सामान्य (संशो.)/2013/सीसीआई के माध्यम से संशोधित और प्रकाशित किया गया था।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2018

The Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2018

(No. 2 of 2018)

No. L-3(2)/Regln.–Gen. (Amdt.)/2018/CCI.—In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following amendment in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, namely:-

1. **Short title and commencement –**

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (General) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Competition Commission of India (General) Regulations, 2009, after Regulation 46, the following Section shall be inserted, namely:—

"46A. Authorizing an Advocate to accompany any person summoned by the Director General:-

(1) An Advocate may accompany any person summoned by the DG to appear before him, subject to the following conditions, namely –

a) The Advocate shall not be allowed to accompany such person, unless a request in writing accompanied by a Vakalatnama or Power of Attorney is duly submitted to the DG, prior to commencement of the proceedings.

b) The Advocate shall not sit in front of the person so summoned.

c) The Advocate shall not be at a hearing distance and shall not interact, consult, confer or in any manner communicate with the person, during his examination on oath.

2) No misconduct on the part of the Advocate, accompanying the person summoned during continuance of his presence before the DG shall be permitted. In case of any misconduct, the DG for reasons to be recorded in writing shall forward a complaint to the Commission. The Commission, if satisfied with the complaint of the DG, may pass necessary order debarring the Advocate, guilty of misconduct, from appearing in the proceedings before the DG as well as before the Commission in future or till such time as the Commission deems necessary.

3) In the event of the misconduct being committed by any Advocate, the Secretary, if so directed by the Commission, shall forward a complaint to this effect in writing to the Bar Council of the State of which the Advocate is member.

Explanation – For the purposes of this Regulation, the term 'Misconduct' shall have the same meaning as assigned to it in explanation to sub-regulation 4 of Regulation 46."

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./396/18]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide Notification No. R-40007/6/ Reg- General/ Noti/ 04- CCI, dated the 22nd day of May, 2009. The regulations were subsequently amended and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notifications No. L-3(2)/ Regln.-Gen. (Arndt.) 2009-10/CCI dated 20th August, 2009; No.L-3(2) Regln.- Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated 20th October, 2010; No. L-3(2) Regln.-Gen. (Amdt.)/2009-10/CCI dated 4th April, 2011; No. L-3 (2)/Regln.-Gen. (Amdt.)/2011/CCI dated 8th November, 2011 and No. L-3 (2)/RegIn.-Gen.Amdt.)/2013/CCI dated 7th October, 2013

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.10 19:32:57 +05'30'